राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना
वाद संख्या–76 / 2022
वाद संख्या–27 / 2024
रेहाना खातून एवं मीना खातून बनाम् रूपा कुमारी।
सलीम मियाँ बनाम् रूपा कुमारी।

यह वाद श्रीमती रूपा कुमारी, (प्रखण्ड समिति सदस्य, ग्राम पंचायत नहौना, प्रखण्ड–सासा राम, **जिला–रोहतास**) के विरुद्व दायर परिवाद पत्र के तथ्यों को सही पाए जाने पर आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान के आधार पर प्रारंभ किया गया, जिसमें परिवादी श्रीमती रेहाना खातून, पति–मो0 इलियास हुसैन, ग्राम–विशुनपुरा, पोस्ट–नहौना, थाना–सासाराम(मु0), **जिला–रोहतास** को पक्षकार बनने का अवसर प्रदान किया गया। वाद प्रारंभ होने के उपरांत समान तथ्यों के आधार पर द्वितीय वादी श्रीमती मीना खातून, पति–मो0 महबूब, ग्राम–नहौना, पोस्ट–नहौना, थाना–सासाराम(मु0), **जिला–रोहतास** द्वारा भी श्रीमती रूपा कुमारी के विरूद्ध वाद दायर किया गया।

वर्ष–2024 में श्री सलीम मियाँ, पिता–श्री सकूर मियाँ, पता–ग्राम दरीगाँव, थाना–दरीगाँव, **जिला–रोहतास** द्वारा भी वाद संख्या–27 / 2024 Same Set of Facts पर दायर किया गया।

मामला एवं प्रतिवादी के एक रहने के कारण सभी वादों को एक साथ टैग करते हुए, पूर्व से संस्थित वाद के अन्तर्गत सुनवाई की गई। दोनों वाद बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–135 सह पठित धारा–136(2) के तहत बिहार राज्य का **मूल निवासी नहीं होने के बावजूद आरक्षण का गलत लाभ प्राप्त करने के दावे के आधार पर** पंचायत समिति सदस्य ग्राम पंचायत, नहौना, प्रखण्ड–सासाराम, **जिला–रोहतास** के अत्यन्त पिछड़ा वर्ग सदस्यों हेतु आरक्षित पंचायत समिति सदस्य पद से हटाने हेतु लाया गया है।

2. वाद की सुनवाई के क्रम में प्रथम वादी श्रीमती रेहाना खातून कभी भी उपस्थित नहीं हुई, जबकि द्वितीय वादी श्रीमती मीना खातून का पक्ष उनके विद्वान अधिवक्ता श्री मिथलेश कुमार सिंह तथा तृतीय वादी श्री सलीम मियाँ का पक्ष विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार तिवारी द्वारा आयोग के समक्ष रखा गया, जबकि प्रतिवादी रूपा कुमारी का पक्ष उनके विद्वान अधिवक्ता श्री अवनीश कुमार एवं श्री एस0बी0के0 मंगलम द्वारा रखा गया। सुनवाई के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, **रोहतास(सासाराम)** द्वारा अभिलेखों के सत्यापन को उपलब्ध कराने एवं जिला प्रशासन का पक्ष रखने हेतु श्री अमरेन्द्र कुमार एवं श्री रविकांत सिन्हा, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **रोहतास(सासाराम)** को प्राधिकृत किया गया।

3. वादी (Intervenor) के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी का जाति प्रमाण–पत्र अंचलाधिकारी, नोखा द्वारा प्रतिवादी के ग्राम दुमरा, पोस्ट–श्रीखिन्डा, थाना–नोखा, अंचल–नोखा, जिला–रोहतास के स्थाई निवासी नहीं होने की पुष्टि के उपरांत रद्द कर दिया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि प्रतिवादी, जिस पंचायत समिति सदस्य पद पर निर्वाचित

हुई हैं, वह पद अत्यन्त पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित है। उनके द्वारा फर्जी प्रमाण–पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ प्राप्त किया गया है।

4. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री एस0बी0के0 मंगलम द्वारा आयोग को बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा अंचलाधिकारी, नोखा, रोहतास द्वारा प्रतिवादी श्रीमती रूपा कुमारी के पक्ष में निर्गत जाति प्रमाण–पत्र संख्या–BCCCO/2021/4739539, दिनांक–14.09.2023 को रद्द करने के निर्णय को निरस्त कर दिया गया है। आगे उनके द्वारा C.W.J.C. No. 3430/2022, में पारित न्याय–निर्णय के प्रभावकारी अंश का वाचन किया गया, जो निम्नवत् है:–

"7. Having regard to the facts and circumstance of the case and considering the law laid down by the Hon'ble Apex Court in the case of Kumari Madhuri Patil (Supra) as also by the learned Division Bench of this Court in the case of Baidhnath Singh (Supra), the order dated 04-01-2022 and any other order passed with regard to cancellation of the caste certificate of the petitioner, either by the Circle Officer or for that matter, by the District Magistrate concerned, is set aside, however, the respondent- State is granted liberty to approach the Bihar State Caste Scrutiny Committee, constituted pursuant to the direction issued by the Hon'ble Apex Court in the case of Kumari Madhuri Patil (Supra), for verification of the caste certificate of the petitioner and if need be, cancellation thereof."

विचाराधीन वाद में हुई सुनवाई एवं जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए, अभिलेखों के अवलोकन से आयोग द्वारा पाया गया कि श्रीमती रूपा कुमारी द्वारा निर्वाचन में प्रयोग किए गए जाति प्रमाण–पत्र संख्या–BCCCO/2021/4739539, दिनांक–14.09.2023 को गलत शपथ–पत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है, जिसे निर्गत करने वाले प्राधिकार अंचलाधिकारी, नोखा द्वारा ही निरस्त कर दिया गया, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा Kumari Madhuri Patil and Another vs. Additional Commissioner, Tribunal Development and others, reported in (1994) 6 SCC 241 में पारित आदेश के आलोक में राज्य सरकार (बिहार) द्वारा राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि (निदेशालय) का गठन संकल्प ज्ञापांक–3887, दिनांक–08.11.2007 एवं संकल्प ज्ञापांक–1567, दिनांक–05.02.2014 को निर्गत किया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि गलत पाए जाने पर राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि (निदेशालय) द्वारा ही जाति प्रमाण–पत्र रद्द या निरस्त किया जा सकता है।

5. **उक्त स्थिति में आयोग द्वारा श्रीमती रूपा कुमारी को निर्गत जाति प्रमाण–पत्र संख्या–BCCCO/2021/4739539, दिनांक–14.09.2023 के संबंध में जाँच एवं आवश्यक निर्णय**

हेतु राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि (निदेशालय) को संदर्भित करने का निर्णय लिया गया।

6. **राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि (निदेशालय) के प्रतिवेदन हेतु प्रतीक्षा अवधि में एक नये वादी श्री सलीम मियाँ द्वारा वाद लाया गया। वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि** प्रतिवादी बिहार राज्य की मूल निवासी नहीं है, तथा उनके द्वारा फर्जीवाड़ा कर जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। इस फर्जीवाड़ा का पता चलने के तुरंत बाद उनका जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले अंचलाधिकारी, नोखा द्वारा उनका जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया, क्योंकि उनके द्वारा जाति प्रमाण पत्र हेतु जिस पते का प्रयोग किया गया है, वह वास्तव में मौजूद नहीं है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि अंचलाधिकारी के निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में प्रतिवादी द्वारा CWJC No- 3430/2022 दायर कि गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा तकनीकी आधार पर अंचलाधिकारी के निर्णय को रद्द कर दिया गया, क्योंकि एक बार जाति प्रमाण पत्र निर्गत होने के उपरांत इसको रद्द करने की शक्ति केवल राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटी (निदेशालय) में ही निहित है, परन्तु माननीय न्यायालय द्वारा जिला प्रशासन को इसे रद्द करने हेतु सक्षम प्राधिकार अर्थात् राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटी (निदेशालय) को प्रेषित करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई परन्तु जिला प्रशासन की संवेदनहीनता के कारण आजतक उनके द्वारा इसे रद्द करने हेतु राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटी (निदेशालय) को प्रेषित नहीं किया गया है। अपने दावे के समर्थन में उनके द्वारा CWJC No- 3430/2022 में पारित न्यायनिर्णय के कंडिका–07 का अवलोकन आयोग को कराया गया।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके मुवक्किल के विरूद्ध पूर्व से ही आयोग में वाद संख्या–76/2022 (रेहाना खातुन बनाम रूपा कुमारी) संस्थित है। अतः यह Multiple Litigation का मामला है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि कानून के स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध Multiple Litigation पर सुनवाई न्यायोचित नहीं है।

आयोग द्वारा पटल पर उपलब्ध कराये गये **'रेकर्ड'** एवं पूर्व वाद संख्या–76/2022 (रेहाना खातुन बनाम रूपा कुमारी) के पक्षकारों एवं विषय–वस्तु का अवलोकन किया गया, तो पाया गया कि दोनो वादों में रूपा कुमारी प्रतिवादी पक्षकार के रूप में मौजूद है, परन्तु दोनों वादों के वादी अलग–अलग है। **अतः उनके न्यायिक अधिकारों को आयोग सीमित नहीं कर सकता, परन्तु दोनों वादों को एक साथ 'टैग' करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि वाद की विषय–वस्तु एक ही है** तथा राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटी (निदेशालय) से

प्राप्त होने वाले प्रतिवेदन के आधार पर सभी वादों का एक साथ निष्पादन करने का निर्णय लिया गया।

7. जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, जिला–रोहतास द्वारा उपलब्ध कराये गये सत्यापन–सह–जॉच प्रतिवेदन (पत्रांक–1173/पं0, दिनांक–01.06.2022) उपलब्ध कराया गया हैं। जाँच प्रतिवेदन का प्रभावकारी अंश निम्नवत् हैः–

''निर्वाची पदाधिकारी(पं0)–सह–प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सासाराम के पत्रांक–49, दिनांक–14.01.2022 से प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि प्रखण्ड सासाराम अन्तर्गत ग्राम–पंचायत–नहौना के नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्या रूपा कुमारी के जाति प्रमाण–पत्र फर्जी होने संबंधी परिवाद, मो9 सद्धाम हुसैन, ग्राम–विशुनपुरा द्वारा दाखिल किया गया। परिवाद–पत्र के आलोक में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सासाराम द्वारा श्रीमती रूपा कुमारी के जाति प्रमाण–पत्र संख्या–BCCCO/2021/4739539 के जाँच प्रतिवेदन की माँग अंचल अधिकारी, नोखा से की गई। अंचल अधिकारी, नोखा द्वारा अपने पत्रांक–01/मु0, दिनांक–04.01.2021 से श्रीमती रूपा कुमारी के जाति प्रमाण–पत्र पर अंकित ग्राम–डूमरा, पो0–श्रीखिण्डा, थाना–नोखा, अंचल, नोखा, जिला–रोहतास के स्थायी निवासी नहीं होने की पुष्टि के आलोक में निर्गत की तिथि दिनांक–14.09.2021 से रद्द किया गया है।''

8. राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटी (निदेशालय) का प्रतिवेदन पत्रांक–10277, दिनांक–05.06.2025 से प्राप्त हुआ, जिसका प्रभावकारी अंश निम्नवत् हैः–

''3. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–1567, दिनांक–05.02.2014 के प्रावधनों के आलोक में स्थलीय जाँच, नातेदार–रिश्तेदारों का बयान, गणमान्य/ग्रामीणों का बयान एवं प्रमाण–पत्रों की अंचल कार्यालय तथा विद्यालय एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये, दस्तावेजों के सत्यापन के क्रम में पाया गया कि श्रीमती रूपा कुमारी, पिता–श्री यदुनंदन राम, ग्राम–डुमरा, पोस्ट–श्रीखिण्डा, थाना+अंचल–नोखा, जिला–रोहतास **''चन्द्रवंशी(कहार)''** जाति के सदस्य हैं। उक्त जाति अत्यन्त पिछड़ावर्ग कोटि(अनुसूची–1) के अन्तर्गत आती है।

5. प्रश्नगत् मामला सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–1567, दिनांक–05.02.2014 की कंडिका–4(ख) के प्रावधानों के अनुरूप है। अतएव उपर्युक्त वर्णित प्रावधानों के आलोक में अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा समर्पित प्रतिवेदन से सहमत होते हुए, श्रीमती रूपा कुमारी, पिता–श्री यदुनंदन राम, ग्राम–डुमरा, पोस्ट–श्रीखिण्डा, थाना+अंचल–नोखा, जिला–रोहतास **''चन्द्रवंशी(कहार)''** (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग) विनिश्चित की जाती है।''

9. राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटी (निदेशालय) के प्रतिवेदन पर सभी पक्षों का मत प्राप्त करने हेतु इसकी प्रतियाँ सभी पक्षों को प्रेषित की गई तथा उन्हें अपना–अपना मत रखने का अवसर प्रदान किया गया, जिसका सारांश निम्नवत् है:–

तृतीय वादी श्री सलीम मियाँ की विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा प्रतिवादी को केवल तकनीकी आधार पर राहत प्रदान की गई थी। राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटी (निदेशालय) द्वारा इस मुलभूत तथ्य की अनदेखी की गई है कि तत्कालीन अंचलाधिकारी, नोखा, रोहतास द्वारा प्रतिवादी की जाति प्रमाण–पत्र इस कारण रद्द की गई थी कि वह रोहतास के निवासी नहीं है। यदि यह मान भी लिया जाए कि वह बिहार राज्य के किसी अन्य जिला के निवासी है, तब भी उनका जाति प्रमाण–पत्र उनके पैतृक निवास से निर्गत होगा, न कि रोहतास से।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटी (निदेशालय) द्वारा सभी वादियों के दावों को खारिज कर दिया गया है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उनकी मुवक्किल नोखा अंचल रोहतास की ही निवासी है, प्रतिवेदन से स्पष्ट प्रमाणित है। उनके द्वारा यह भी दावा किया गया कि वादियों को यह साक्ष्य उपलब्ध कराना चाहिए कि यदि उनके मुवक्किल नोखा रोहतास के निवासी नहीं है, तो वह कहाँ की है। अंत में उनके द्वारा **रजनी कुमारी वाद** में पारित न्याय–निर्णय के आलोक में जाति के मामले में Apex Fact Finding Body अर्थात् राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटी (निदेशालय) के प्रतिवेदन के आधार पर निर्णय दिये जाने की माँग की गई।

10. उक्त विवेचना एवं साक्ष्यों से स्पष्ट है कि राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटी (निदेशालय) द्वारा वादियों का दावा सत्य नहीं पाया गया कि प्रतिवादी श्रीमती रूपा कुमारी का संबंध बिहार राज्य से नहीं है। वादीगण आयोग के समक्ष कोई ऐसा अकाट्य साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहे जिससे उनके दावें की सत्यता प्रमाणित हो, **हालाँकि प्राथमिक साक्ष्य श्रीमति रूपा कुमारी के विरूद्ध पाया गया तथा उनको जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने वाले अंचलाधिकारी, नोखा द्वारा उनके जाति प्रमाण–पत्र को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि प्रतिवादी रोहतास जिला की निवासी नहीं है।**

उक्त वर्णित स्थिति में राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटी (निदेशालय) का प्रतिवेदन प्रतिवादी के पक्ष में प्राप्त है एवं प्रतिवादी की ''जाति'' प्रश्नगत् नहीं है तथा वादियों द्वारा कोई ऐसाा निर्विवाद साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रमाणित हो सकें कि प्रतिवादी बिहार राज्य की मूलवासी नहीं है, उन्हें पदमुक्त किया जाना न्यायोचित नहीं है,

परन्तु वादियों को यह स्वतंत्रता है कि यदि प्रतिवादी के विरूद्ध उन्हें कोई अकाट्य प्राप्त होता है, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि प्रतिवादी या उनके माता–पिता दूसरे राज्य के मूलवासी है, तो वह पुनः वाद लाने हेतु स्वतंत्र है।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।
सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।
अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
13.02.2026
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
13.02.2026
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–72/2022 एवं 27/2024 पटना, दिनांक–.....

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग–सह–अध्यक्ष राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय), बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–72/2022 एवं 27/2024 615 पटना, दिनांक–13.2.26

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, **रोहतास** एवं अन्य सभी जिला पदाधिकारी, /जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **रोहतास** को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **रोहतास** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

13/2/26
विशेष कार्य पदाधिकारी